

बिहार विधान सभा में प्राप्त अतारांकित प्रश्न	
श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, मा० स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं०-पुन०-९ के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2010-11 में हरेन्द्र शर्मा, पिता-गोविन्द शर्मा, ग्राम -कल्याण गाँव दिनांक -07.05.2010, माणिकचन्द्र दास, पे० ग्रहणलाल दास, ग्राम -लोहागड़ा दिनांक -24.09.2010 एवं प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बेलता बी०आर०सी० भवन के निकट एवं सुनीत कुमार यादव, पे० लल्टू यादव, ग्राम -कोलहा, पंचायत शरीफनगर दिनांक -03.11.2011 को वज्रपात गिरने से मृत्यु हो गयी है,	स्वीकारात्मक ।
2. क्या यह बात सही है कि बलरामपुर अंचलाधिकारी द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियों को वज्रपात से मृत्यु होने की पुष्टि की गई है, परन्तु आज तक मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि तीनों मृतकों में से दो मृतक क्रमशः स्व० सुजीत यादव एवं स्व० हरेन्द्र शर्मा कटिहार जिला के थे तथा एक मृतक स्व० मानिक चन्द्र दास पूर्णियाँ जिला के थे। तीनों मृतकों के आश्रितों को संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि 1-1 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मृतक के आश्रितों को मुआवजा की राशि का भुगतान करना चाहती है, हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका -2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि०स०अता०प्र०-64 / 2011 / / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक -

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक -4301 दि०-02.05.2012 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विपिन कुमार राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक -04 / वि०स०ता०प्र०-64 / 2011 / 2828 / आ०प्र०, पटना-15, दिनांक - 12/7/13

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई०टी० मैनेजर, आ०प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी